न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मांक –रीडर/ 2022/274 मुकदमा नंबर 262/2022 दिनांक :– 29/8/.2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रतनलाल पुत्र बाबूलाल जाति खटीक निवासी बालोतरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर।		1. अशोक पुत्र जगदीश 2. नरपत पुत्र जगदीश 3. पूनम पुत्र जगदीश 4. फूसी पत्नी जगदीश जाति संत निवासीयान रामसीन तह0 पचपदरा जिला बाडमेर। 5. केसाराम पुत्र फुफाराम 6. धरमाराम पुत्र फुफाराम 7. पदमाराम पुत्र फुफाराम जाति भील निवासीयान भील 8. भटाराम पुत्र मोडाराम 9. देवराज पुत्र भलाराम 10. मेलाराम पुत्र पदमाराम 11. हरीयादेवी पत्नी पदमाराम मेगवाल निवासीयान मूंगडा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर । 12. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।

आदेश **दिनाक :–29.8.2022**

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा मूंगडा पटवारी क्षेत्र मूंगडा भू–निरीक्षक क्षेत्र बालोतरा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 1665/878 रकबा 1.4569 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने से बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें कमिश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 17:39:11 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/275 दिनांक :– 29/8/2022

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे,साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा